संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–2412849 फैक्स 0771–2412841 Email : miningdgmcg@gmail.com

EXPRESSION OF INTEREST

इंडियन ब्यूरो ऑफ माईन्स द्वारा जारी परिपत्र 2/2010, दिनांक 06.04.2010 अनुसार मायनिंग प्लान/स्कीम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत प्लान के साथ प्रत्येक बाउण्ड्री पिलर्स (सीमा स्तंभ) का राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी के माध्यम से 2 घंटे डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) सर्वे अनुसार प्राप्त को–आर्डिनेट्स अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है। उक्त परिपत्र के तहत् छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग को प्रदेश में डीजीपीएस सर्वे हेतु सक्षम एजेंसियों को मान्यता दिया जाना है।

तत्संबंध में इच्छुक एजेंसियों, जिनके पास डीजीपीएस सर्वे, केडेस्ट्रल नक्शों का डिजीटायजेशन एवं जियोरिफरेंसिंग कार्य में तकनीकी रूप से दक्ष अमला एवं न्यूनतम तीन संस्थानों के डीजीपीएस कार्य करने का अनुभव है, वे राज्य शासन के मान्यता प्राप्त एजेंसियों के रूप में कार्य करने के लिए अपना आवेदन **संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ (492002)** को आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। **पूर्व में डीजीपीएस सर्वे हेतु अधिमान्यता के लिए प्रस्तुत एजेंसियों के आवेदन मान्य होंगे। उन्हे पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।**

उपरोक्तानुसार कार्य क्षमता एवं अनुभव के संबंध में आवेदक एजेंसी को न्यूनतम तीन संस्थाओं/कंपनी द्वारा जारी कार्यादेश/रेट कान्ट्रेक्ट हुआ है तो प्रमाणित विवरण/अन्य राज्यों में अधिकृत हुआ है, तो उसका विवरण एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

आवेदक कंपनी/संस्था को बुलाये जाने पर संचालक द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण करना होगा। प्रस्तुतीकरण पश्चात समिति की अनुशंसा पर मान्यता दी जावेगी।

डीजीपीएस सर्वे हेतु व्यय संबंधित पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी/खनि पट्टेधारी को वहन करना होगा। अतः राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी, अपेक्षित कार्य हेतु दर, संबंधित अनुज्ञप्ति/पट्टेधारी से स्वतः नेगोशियेट कर निर्धारित करेंगें।

22/05/15
संचालक
भौमिकी तथा खनिकर्म,
छत्तीसगढ़